भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 18

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

वैश्विक बाज़ार में भारतीय कुशल पेशेवर

*18. श्री संजय हरिभाऊ जाधव: श्री नारायण तातू राणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वैश्विक बाजार में भारतीय कुशल पेशेवरों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है तथा तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) वैश्विक कार्यबल में देश के कुशल पेशेवरों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है;

(घ) देश की जनसंख्या के संबंध में कौशल के आनुपातिक अंतर की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में भारतीय कार्यबल के लिए रोजगार के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) समाज में वंचित वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजित करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>वैश्विक बाजार में कौशल पेशेवरों के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव और श्री नारायण तातू राणे द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 के भाग (क) से (च) के उत्तर के संदर्भ में विवरण</u>

(क) विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह डेटा केवल उन भारतीय कामगारों के संबंध में रखा जाता है जिनके पास उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट है, जो ईसीआर श्रेणी के किसी भी देश में ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेशी रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ईसीआर पासपोर्ट धारक आम तौर पर अकुशल या अर्ध-कुशल कामगार होते हैं। ऐसे कामगारों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) वास्तव में पिछले 3 वर्षों के दौरान बढ़ी है। पिछले 3 वर्षों के दौरान दी गई ईसी का डेटा नीचे तालिका 1 में दिखाया गया है।

तालिका 1: पिछले 3 वर्षों के दौरान ईसीआर पासपोर्ट वाले श्रमिकों को दी गई उत्प्रवास मंजूरी (ईसी)

वर्ष	प्रदान की गई उत्प्रवास मंजूरी की संख्या
2023	3,98,317
2022	3,73,425
2021	1,32,675

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार भारतीय श्रमिकों के साथ-साथ छात्रों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों आदि की वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार गंतव्य देशों के साथ प्रवास और गतिशीलता भागीदारी, श्रम गतिशीलता और श्रम कल्याण समझौते, कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण जैसे विविध समझौता ज्ञापनों/समझौतों के माध्यम से भारतीय कार्यबल के लिए गतिशीलता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है, जो कानूनी प्रवास के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करते हैं। ये समझौते/समझौता ज्ञापन भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उनके श्रम अधिकारों की रक्षा, अनियमित प्रवास को रोकने और कौशल विकास का समर्थन करने का प्रयास करते हैं। प्रवास और गतिशीलता भागीदारी पर समझौते/समझौता ज्ञापन फ्रांस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और डेनमार्क के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, मॉरीशस, इजरायल, ताइवान और मलेशिया के साथ श्रम गतिशीलता समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) देश की जनसंख्या के संबंध में कौशल अंतर को पाटने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने और पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, नव-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजनों और अन्य योग्य मामलों में उचित आयु में छूट दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस): यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और उद्योग में कार्यस्थल पर कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस): यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई कई तरह के व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जो बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिसका उद्देश्य उद्योग को कुशल कार्यबल प्रदान करना और युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करना है।

(ङ) भारत सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाना तथा विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय और उच्च कुशल कार्यबल का स्रोत बनाना है।

विभिन्न क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही उद्योगों की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी उद्योगपतियों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है। कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत पाठ्यक्रमों को एसएससी से प्राप्त इनपुट के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को पाटा जा सके।

तदनुसार, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत, सरकार ने कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक युग और भविष्य के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) भी ड्रोन, कृत्रिम मेधा, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर आदि जैसे 29 नए युग/भविष्य के कौशल पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) ने नेसकॉम के साथ संयुक्त रूप से "फ्यूचरस्किल्स प्राइम" नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नई/उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि कृत्रिम मेधा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन में उम्मीदवारों पुनर्कौशल प्रदान करना/कौशलोन्नयन करना है।

(च) रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि जैसी विभिन्न रोजगार सृजन स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार स्कीमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 स्कीमों और पहलों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार, सरकार को जीवन और दिव्यांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें तैयार करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। जीवन और दिव्यांगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के माध्यम से बीमित हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमएसवी निधि आदि जैसी अन्य स्कीमें भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

*****